

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक / /2018

संख्या-3/पास-01-11/2015 - /स्वा0, डा0 (श्रीमती) विभा कुमारी सिंह,
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, सम्प्रति प्रतिनियुक्त अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र,
आशियाना नगर द्वारा दिनांक 19.04.2018 से 29.06.2018 तक कुल-72 (बहत्तर) दिन विदेश यात्रा में
बिताये गये अवधि को वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 156 दिनांक 05.03.2018
द्वारा प्रतिवेदित आदेयता के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-227 के तहत उपार्जित अवकाश
के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

2. प्रस्ताव में संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/-
(जगदीश कुमार)

ज्ञापांक : 5-90(3) ,

/स्वा0, पटना, दिनांक : 31.07.2018

प्रतिलिपि : वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार,
पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सिविल सर्जन, पटना/डा0 (श्रीमती) विभा कुमारी सिंह, मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, सम्प्रति प्रतिनियुक्त अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र,
आशियाना नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : विभागीय प्रशाखा-2, 3, 9, एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

20/7/18
विशेष कार्य पदाधिकारी.